न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 41 / 2016 दायर दिनांक : 18.01.2016

उनवान

1– सतबीर पुत्र श्री हरिचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी कृष्णा नगर, धानमण्डी, सोनीपत, हरियाणा

2– छोटूलाल पुत्र श्री औंकार, जाति अहीर, निवासी मामोनी, तहसील शाहबाद

3– साबो पुत्री श्री औंकार, जाति अहीर, निवासी मामोनी तहसील शाहबाद

4– भगवान सिंह पुत्र श्री मथुरालाल

5– दौलत सिंह पुत्र श्री मथुरालाल

6– बादाम सिंह पुत्र श्री मथुरालाल, जाति अहीर, निवासी मामोनी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.....
अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील शाहबाद

2– परियोजना प्रबन्धक एल0 एन0 टी0 कम्पनी, बालापुरा

.....
रेस्पोडेट

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पेरोकार सरकार श्री संदीप सक्सैना, नायब तहसीलदार रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2007 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के वाद संख्या 02/2007 अन्तर्गत धारा 177 आर. टी. ए. स्वीकार किया गया।

निर्णय **दिनांक : 06.02.2023**

1— वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि :—

2 वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया था कि मुताबिक जमाबन्दी ग्राम मामोनी सम्वत् 2060—63 वाके ग्राम मामोनी के अनुसार प्रतिवादी छोटूलाल खसरा नम्बर 884/1035 रकबा 5 बीघा बिस्वा का खातेदार है।

3 खातेदार उक्त भूमि पर कानूनन अपनी भूमि पर सुधार कर सकते है, परन्तु उससे भिन्न होकर सुधार नहीं कर सकते है। एक खातेदार अपनी भूमि का 1/50 वां भाग तक ही भूमि का सुधार कर सकते है जिसमें मकान, पशुशाला, टेंक, कृषि यंत्र व चारा रखने का सामान एवं कुआ सम्मिलित है।

4 प्रतिवादीगण अपनी धारित भूमि पर धारा 67 आर टी ए के परन्तुक के अनुसार जोत के कुल क्षेत्र के 50 वें भाग तक ही सुधार कार्य कर सकते है, अधिक क्षेत्र का नहीं। सुधार कार्य के अन्तर्गत प्रतिवादीगण द्वारा एक सीमा तक ही भूमि की खुदाई कर सकता है जो नियमों में एक गज तक है, इससे अधिक नहीं।

5 प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम मामोनी की भूमि खसरा नम्बर 884/1035 रकबा 5 बीघा का सम्पूर्ण क्षेत्र एक मीटर गहराई तक खुदाई कर दी गई है तथा उक्त खुदाई से कृषिमय भाग की मिट्टी खुद जाने से भूमि कृषि काबिल नही रही है। प्रतिवादीगण ने कानून एवं नियमों के विपरीत उक्त भूमि की खुदाई कर कृषि भूमि को गैरकृषि भूमि बना दिया है। इस प्रकार खातेदार का उक्त कृत्य भूमि के लिए हानिकारक है जो भूमि सुधार श्रेणी में नहीं आता है।

6 भूमि पर किया गया कोई निर्माण, मिट्टी हटाना आदि समस्त सुधारात्मक कार्य, अभिधारी द्वारा धारित जोत के सम्बन्ध में है। जब जोत का सम्पूर्ण भाग ही गैर कृषिमय बना दिया है जो सुधार की श्रेणी में नहीं आता है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः प्रतिवादीगण द्वारा किया गया कार्य भूमिधारक (तहसीलदार) एवं अभिधारी के न्यास भंग की श्रेणी में आता है जो कानून एवं नियमों के विरूद्ध है। जिसके लिए प्रतिवादीगण भूमि से बेदखल के दायी है।

7 प्रतिवादी/प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को गैरकृषि में बदलने का कार्य किया है। अतः प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल करते हुए भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे एवं भूमि को राजहित में लिया जावे तथा भूमि को इतनी गहराई तक खुदाई कर दी गई है कि भूमि तालाब में परिवर्तित हो गई है। अतः भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज की जावें।

8 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :–

9 भूमिधारक राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार शाहाबाद ने एक वादपत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम मामोनी की भूमि खसरा नम्बर 145 की 0.06, 227 की 0.09, 445 की 0.08, 824/1037 की 3.03, 884/1035 रकबा 5.00 बीघा के खातेदार/प्रतिवादीगण ने उक्त खातेदारी भूमि में से खसरा नम्बर 884/1035 रकबा 5 बीघा की किस्म परिवर्तन कर दी गई है। प्रतिवादीगण ने भूमिधारक की अनुमति के बिना पूरे रकबे को खोदकर मिट्टी उठा ली है तथा मिट्टी को प्रतिवादी क्रम 6 को अवैध तरीके से बेच दी। प्रतिवादीगण ने खेत की खुदाई उसकी जानकारी के अभाव में होना जाहिर किया।

10 अधीनस्थ न्यायालय में कायम तनकीयात के अनुसार प्रतिवादीगण ने भूमि सुधार कर कृषि योग्य बनाया है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य में कोई दस्तावेजी या मौखिक सबूत पेश नहीं किया जबकि वादी ने साक्ष्य में मौका रिर्पोट पटवारी दिनांक 03.01.2007 जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063 खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस, बयान पटवारी हल्का, शपथ पत्र शामिल करवाया गये।

11 प्रतिवादी द्वारा उसका खेत गांव से काफी दूर होने व मिट्टी खुदाई की जानकारी न होने को न्यायालय में सही नहीं माना। न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादी को अपने सम्पूर्ण खेत की 3–3 मीटर मिट्टी खुदाई की जानकारी होने पर भी उसने कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं करवाया।

12 अतः जानबूझकर अकृषिक कार्य किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.02.2007 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए भूमि को सिवायचक करने के आदेश प्रदान किये गये।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

13– अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :–

14 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2007 के विरूद्ध अपीलांट सतवीर पुत्र श्री हरिचन्द्र वगैराह द्वारा अपील प्रस्तुत की है।

15 अपलीलांट सतवीर ने वादग्रस्त भूमि ग्राम मामोनी की खसरा नम्बर 884/1035 रकबा 5.00 बीघा को रजिस्ट्री द्वारा क्रय किया है उक्त अपील प्रस्तुत करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न किया गया है। जिसमें अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गयी है।

16 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान् अपीलांट की खातेदारी भूमि पर रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 बिना किसी ठोस साक्ष्य के खातेदारी अधिकारों से वंचित कर भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2007 मौजूदा कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

17 अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 क्रम 2, 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब के पश्चात् तनकी दिनांक 19.01.2007 को कायम की गई। वादी की ओर पटवारी के बयान लेखबद्ध किये गयें। उन्हें जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा रेस्पो0 क्रम 2, 3 व 4 के विरूद्ध न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.02.2007 की आदेशिका में बहस हेतु अवसर चाहने का नोट अंकित किया गया तथा इसके पश्चात् दिनांक 20.02.2007 को उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया।

18 अपीलांट को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर न देकर, जल्दी–जल्दी नजदीक की तारीख देकर निर्णय दे दिया गया, जिससे अपीलांट के खातेदारी अधिकारों पर कुठारघात हुआ है।

19 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी के बयान लिये गये। उनसे जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया। उक्त बयान बिना जिरह के पढ़े जाने योग्य नहीं है। वादी के बयान उक्त वाद में नहीं लिये गये है। जब मूल वादी के बयान ही नहीं लिये गये है तो गवाह के बयान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मूल वादी का बयान प्रकरण में नहीं लिया गया है। इसलिए उक्त दावा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है तथा खारिज करने योग्य था।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

20 यह है कि अपीलांट क्रम 1 उक्त भूमि का रजिस्टर्ड क्रेता है तथा भूमि काश्त किये जाने योग्य होने के कारण ही उसके द्वारा क्रय की गई है तथा क्रय की गई भूमि को अपने खाते लगाने का अधिकारी है।

21 अपीलांट क्रम 1 को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 06.08.2015 को हुई। जब अपीलांट अपने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तकरण खुलवाने के लिए तहसील में आवेदन किया। अपीलांट ने उक्त प्रकरण की नकल निकलवाकर अपील प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

22 अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलांट ने निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये :–

23 अपीलान्ट क्रम 2 ता 6 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2007 को एक तरफा पारित किया है। उक्त वाद में बिना वादी के बयान लेखबद्ध करवाये, नजदीक की तारीख देकर दिनांक 20.02.2007 को निर्णय पारित कर दिया है जिसकी जानकारी ना तो अपीलांट को, ना उनके अधिवक्ता को दी गई।

24 उक्त उनवान की अपील में साबो पुत्री औंकार, छोटूलाल पुत्र औंकार की ओर से ना तो कोई वकालतनामा पेश किया गया है ना ही उनको प्रोपर तामील की गई। बिना किसी तामील के सभी प्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर प्राकृतिक न्याय का उल्लघंन किया गया, उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 06.02.2015 को हुई। जब अन्य अपीलांट ने उक्त फैसला बाबत् जिक्र कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर नकल प्राप्त की इसलिए प्रार्थी/अपीलांट दिनांक 20.02.2007 से 05.10.2015 के मध्य की अवधि को कन्डोन कराने के वैधानिक अधिकारी है।

25 अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलांट ने निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये :–

26 अपीलांट क्रम 2 ता 6 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.05.2007 को आराजी खसरा नं0 834/1036 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा खसरा नं0 884/135 रकबा 5 बीघा भूमि का बोनाफाईड परचेजर है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.02.2007 की जानकारी न तो अपीलांट क्रमांक 2 ता 6 के द्वारा अपीलांट क्रम 1 को दी गई, ना ही उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी को है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

27 प्रार्थी/अपीलांट क्रम 1 रजिस्टर्ड बोनाफाईड परचेजर है तथा उक्त दस्तावेज विक्रय पत्र के आधार पर जब भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु तहसील शाहबाद में आवेदन पेश किया, तब उक्त तथ्य की जानकारी हुई। उक्त निर्णय से अपीलांट के हित जुडे है तथा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ना होते हुए भी अपील प्रस्तुत कर उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त करवाया जाना अपीलांट क्रम 1 के हित में अतिआवश्यक है इसलिए न्याय हित में अपीलांट क्रम 1 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.02.2007 की अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दिया जाना न्यायोचित है क्योंकि उक्त निर्णय से अपीलांट क्रम 1 पीड़ित पक्षकार की श्रेणी में आता है।

28 न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है।

29 प्रस्तुत वाद में पैरोकार सरकार द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया है जो बिन्दुवार निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत है –

30 प्रस्तुत वाद में पटवारी हल्का पटवार मण्डल खाण्डा सहरोल ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम मामोनी के खसरा नम्बर मुताबिक जमाबंदी 884/1035 वास्तविक नम्बर 824/1035 रकबा 5 बीघा के खातेदारान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर 3 – 3 मीटर मिट्टी खुदाई कर हाइवे निर्माण करने वाली कम्पनी को बेच दी है। मिट्टी खुदाई करने के कारण खेत का मूल स्वरूप परिवर्तित हो गया है तथा खेत कृषि योग्य नहीं रहा है।

31 उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 20.02.2007 से भूमि सिवाय चक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये ।

32 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 592 दिनांक 21.04.2007 से सिवाय चक दर्ज हो गयी है।

33 दिनांक 21.04.2007 को भूमि सिवाय चक दर्ज होने के बावजूद दिनांक 23.05.2007 को उक्त भूमि का बेचान रजिस्ट्री द्वारा पूर्व खातेदारान छोटूलाल वगैरहा ने वादी सतवीर पुत्र हरिचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कृष्णा नगर, धानमण्डी, सोनीपत, हरियाणा को कर दिया। उक्त बेचान का विक्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 599 दिनांक 05.09.2007 दर्ज किया गया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

34 न्यायालय में तहसीलदार, शाहबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मामोनी की आराजी खसरा नम्बर 884/1035 रकबा 5 बीघा मुताबिक सैटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2020–2039 के अनुसार छोटूलाल वगैरहा के खसरा नम्बर 824/1035 है, जो सहवन से 884/1035 दर्ज हो गये ।

35 मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहबाद के अनुसार न्यायालय निर्णय की पालना में वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 592 दिनांक 21.04.2007 से सिवायचक दर्ज हुई, जो जमाबंदी सम्वत 2064–2067 में खाता संख्या 1 में दर्ज रेकार्ड है।

36 मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहबाद नामान्तरकरण संख्या 599 दिनांक 05.09.2007 से वादग्रस्त आराजी के विक्रय का नामान्तकरण दर्ज हो गया, किन्तु भूमि के सिवायचक होने के कारण उसका अमल रोक दिया गया।

37 तहसीलदार शाहबाद की रिपोर्ट के साथ सलंग्न भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 30.09.2022 में उपरोक्त तथ्यों के अवाला मौके पर किसी का कब्जा नहीं होने, ना ही धारा 91 की रिपोर्ट होना अंकित किया गया है।

38 तहसीलदार शाहबाद ने पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 01.10.2022 प्रेषित की है जिसके अनुसार वर्तमान में खेत हंका हुआ है व पड़त है और गड्डे नहीं है।

39 प्रस्तुत प्रकरण में कई विरोधाभासी तथ्य प्रकट हुए हैं –

40 भूमि जब नामान्तरकरण संख्या 592 दिनांक 21.04.2007 को सिवाय चक दर्ज हो गई थी तो दिनांक 23.05.2007 को कैसे उक्त भूमि की रजिस्ट्री हो गयी।

41 वादग्रस्त आराजी मुताबिक नक्शा 824/1035 व सैटलमेंट जमाबंदी संम्वत 2020 से 2039 सही है। वर्तमान जमाबंदी में 884/1035 दर्ज है। तहसीलदार भू0 अभि0 व पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में 824/1035 को ही सही माना है। उक्त अशुद्धि को सही करने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है।

42 भू0 अभि0 निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.09.2022 की रिपोर्ट में तो वादग्रस्त आराजी "मौके पर पड़त है व किसी का कब्जा नहीं है तथा धारा 91 की रिपोर्ट नहीं की गई है।" अंकित किया गया है व दिनांक

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

01.10.2022 को पटवारी रिपोर्ट में खेत हंका हुआ है व पड़त है, गड्डे नहीं है, अंकित किया गया है।

43 प्रकरण में अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा गम्भीर अनियमितता की गई है।

44 हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया ।

45 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

46 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजी ग्राम मामोनी, खसरा नम्बर 884/1035 रकबा 5 बीघा को खुदवा कर मिट्टी बेच दी है। उक्त रकबे में मात्र पत्थर शेष रहने के कारण भविष्य में काबिल काश्त नहीं रही है। खातेदारों द्वारा अपने खाते की उक्त भूमि में 3 मीटर गहराई से मिट्टी खुदवा दी है।

47 प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं है जिससे जाहिर हो सके कि उक्त भूमि में उनके द्वारा कोई सुधार कार्य किया हो। यदि खातेदार की मंशा भूमि सुधार की होती तो भूमिधारक तहसीलदार से पूर्व अनुमति प्राप्त कर कार्य शुरू कराते, परन्तु खातेदारों ने कम्पनी से पैसे लेकर भूमि का अवैध कार्य किया है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

48 इस प्रकार विवादित भूमि की खुदाई कर हानिकारक कार्य प्रतिवादीगण की सहमति से ही हुआ है।

49 अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 592 दिनांक 21.04.2007 से सिवाय चक दर्ज हो गयी है।

50 दिनांक 21.04.2007 को भूमि सिवाय चक दर्ज होने के बावजूद दिनांक 23.05.2007 को उक्त भूमि का बेचान रजिस्ट्री द्वारा पूर्व खातेदारान छोटूलाल वगैरहा ने वादी सतवीर पुत्र हरिचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कृष्णा नगर, धानमण्डी, सोनीपत, हरियाणा को कर दिया। उक्त बेचान का विक्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 599 दिनांक 05.09.2007 दर्ज किया गया।

51 इस न्यायालय में तहसीलदार, शाहबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मामोनी की आराजी खसरा नम्बर 884/1035 रकबा 5 बीघा मुताबिक सैटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2020–2039 के अनुसार छोटूलाल वगैरहा के खसरा नम्बर 824/1035 है, जो सहवन से 884/1035 दर्ज हो गये ।

52 तहसीलदार शाहबाद की रिपोर्ट के साथ सलंग्न भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 30.09.2022 में उपरोक्त तथ्यों के अलावा मौके पर किसी का कब्जा नहीं होने, ना ही धारा 91 की रिपोर्ट होना अंकित किया गया है।

53 तहसीलदार शाहबाद ने पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 01.10.2022 प्रेषित की है जिसके अनुसार वर्तमान में खेत हंका हुआ है व पड़त है और गड्डे नहीं है।

54 भू0 अभि0 निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30.09.2022 की रिपोर्ट में तो वादग्रस्त आराजी "मौके पर पड़त है व किसी का कब्जा नहीं है तथा धारा 91 की रिपोर्ट नहीं की गई है।" अंकित किया गया है व दिनांक 01.10.2022 को पटवारी रिपोर्ट में खेत हंका हुआ है व पड़त है, गड्डे नहीं है, अंकित किया गया है। इस प्रकार एक दिन के अन्तराल में ही विरोधाभासी रिपोर्ट की गई है जो कि गम्भीर अनियमितता का द्योतक है।

55 वादग्रस्त आराजी मुताबिक नक्शा 824/1035 व सैटलमेंट जमाबंदी संम्वत 2020 से 2039 सही है। वर्तमान जमाबंदी में 884/1035 दर्ज है। तहसीलदार भू0 अभि0 व पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में 824/1035 को ही

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सही माना है। उक्त अशुद्धि को सही करने की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है।

56 अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

57 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2007 यथावत रखा जाता है।

58 प्रकरण में अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा गम्भीर अनियमिततायें की गई है। अतः निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर, बारां को प्रतिप्रेषित की जाकर दोषी कार्मिकों के खिलाफ जांच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पृथक से लिखा जावे।

59 निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवम्
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– सतबीर पुत्र श्री हरिचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी कृष्णा नगर, धानमण्डी, सोनीपत, हरियाणा
2– छोटूलाल पुत्र श्री औंकार, जाति अहीर, निवासी मामोनी, तहसील शाहबाद
3– साबो पुत्री श्री औंकार, जाति अहीर, निवासी मामोनी तहसील शाहबाद
4– भगवान सिंह पुत्र श्री मथुरालाल
5– दौलत सिंह पुत्र श्री मथुरालाल
6– बादाम सिंह पुत्र श्री मथुरालाल, जाति अहीर, निवासी मामोनी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील शाहबाद
2– परियोजना प्रबन्धक एल0 एन0 टी0 कम्पनी, बालापुरा

.... रेस्पोडेंट

अपील नं 41/2016 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद
मु.द.नं0 02/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक – 20.02.2007

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 11 माह 01 सन् 2023

हाजरी **श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से उपस्थित एवं पेरोकार सरकार **श्री संदीप सक्सैना, नायब तहसीलदार** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2007 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 06 माह 02 सन् 2023 को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)